—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 144/2023

उनवान

1. कैलाश पुत्र छगना
2. सुखपाल पुत्र छगना
3. भारमल पुत्र छगना
4. सोभराज पुत्र मेघराज
5. ममता पुत्री मेघराज
6. सुमित पुत्र मिठु
7. शंकर पुत्र भोलाराम
8. यशपाल पुत्र भोलाराम
9. शुभकरण पुत्र हरजी
10. नीर पुत्र रामदयाल
11. सायर पत्नी बद्री
12. गोपाली पुत्री बद्री
13. रामप्यारी पुत्री बद्री
14. रामकिशन पुत्र भीयां
15. रामचन्द्र पुत्र भीया
16. रघुनाथ पुत्र भीया
17. जगदीश
18. रामधन
19. बसराम
20. चंदनी
21. संतोक पि० शिवनारायण समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मावशिया, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. गोपाल
3. हरकरण पि. रामदयाल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मावशिया, नसीराबाद
4. मैनेजर बेंक आफॅ बडौदा शाखा रामसर
5. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चोधरी
[illegible] अनुपस्थित, 6 जरियें राज. पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—: आदेश :—　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :— 5.2.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. मावशिया मे प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किंग खन.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
647	2—14—0	776 मिन	2—14—0	1374	0.77
				1374/2324	0.26
648	3—14—10	777 मिन	3—14—10	1378	0.27
649	1—6—0	776 मिन	0—13—0		
		777 मिन	0—13—0		
650	0—11—10	778	0—11—10	1373	0.18
653	0—5—10	779	0—5—10		

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 व 2020 से 2023 व 2022 से 2025 में हरलाल उर्फ नानू पुत्र मोती के नाम खुदकाश्त खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है। हरलाल उर्फ नानू पुत्र मोती की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से रामदयाल पुत्र नानू के नाम वंर्किंग जमाबंदी में व हाज राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नही किया है जिसमें आराजी मुतनाजा के खातेदार प्रार्थीगण के पूर्वज हो। आराजी मुतनाजा किस नामान्तकरण से जवाबकुनिन्दा के नाम दर्ज हुयी ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर नही है। जवाबकर्ता आराजी मुतनाजा के खातेदार 60 वर्षो से है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम व प.म. मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1374, 1378, 1374/2324 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1373 सिवायचक दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 व 2020 से 2023 व 2022 से 2025 में हरलाल उर्फ नानू पुत्र मोती के नाम कुछ आराजी भूमि अधिकारी के रूप में दर्ज थी। उक्त राजस्व अभिलेख में काश्तकार के रूप में प्रार्थीगण के पूर्वज दर्ज नही थे। हरलाल उर्फ नानू पुत्र मोती की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। के नाम वंर्किंग जमाबंदी में व हाज राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा रामदयाल पुत्र नानू/अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। इसके समर्थन में प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन के साथ प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया है। आराजी मुतनाजा के चौसाला जमाबंदी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:23 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृश्टया सिद्व नही होता है। अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में वंर्किग जमाबंदी से खातेदार चले आ रहे है। रिकार्डेड खातेदार को विषम परिस्थितियों के अतिरिक्त पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थीगण ने भी प्रकरण में प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर अपना कब्जा बताते हुये प्रार्थीगण को पाबंद करने का निवेदन किया है। किन्तु कब्जे के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष के कब्जे व मालिकाना हक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगा। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के पूर्वज का नाम साबिक राजस्व अभिलेख में अंकित होना इस स्तर पर सिद्व नही होता है। अप्रार्थीगण वंर्किग जमाबंदी से खातेदार दर्ज है। प्रकरण में विशेष परिसितिया भी सिद्व नही होती है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम व प.म. मावशिया के खसरा नम्बर 1374 रकबा 0.77, 1374/2324 रकबा 0.26, 1378 रकबा 0.27, 1373 रकबा 0.18 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:29:23 IST
Reason: SelfAttested